N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

...t	ACB DISTRICT	P.S. (थाना):	C.P.S Jaipur	Year (वर्ष):	2025
...o. ...सं):	0318	Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):	28/11/2025 19:44 बजे		

...o. ...)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

...urrence of offence (अपराध की घटना):

...दिन):	दरमियानी दिन	Date From (दिनांक से):	26/11/2025	Date To (दिनांक तक):	27/11/2025
...e Period ... अवधि):	पहर	Time From (समय से):	11:00 बजे	Time To (समय तक):	11:40 बजे
...rmation received at P.S. ...जहाँ सूचना प्राप्त हुई):		Date (दिनांक):	28/11/2025	Time (समय):	14:00 बजे
...eral Diary Reference ...नामचा संदर्भ) :		Entry No. (प्रविष्टि सं.):	003	Date & Time (दिनांक एवं समय)	28/11/2025 19:44:25 बजे

...f Information (सूचना का प्रकार): लिखित

...f Occurrence (घटनास्थल):

...irection and distance from P.S. ...ने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 115 किमी

Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL...

...dress(पता): POLICE THANA PANIYALA, JILA KOTPUTLI BEHROR

...case, outside the limit of this Police Station, then ...दि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

...me of P.S ...ना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

lainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

me(नाम): VIKARAM MEGHWAL

ther's Name (पिता का नाम): JAGANNATH MEGHWAL

te/Year of Birth
न्म तिथि/ वर्ष): 1990 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

D No(यूआईडी सं.):

ssport No. (पासपोर्ट सं.):

te of Issue
री करने की तिथि): Place of Issue
(जारी करने का स्थान):

etails (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड,
ाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

cupation (व्यवसाय):

dress(पता):

No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BANETHI, KOTPUTLI, PANIYALA, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BANETHI, KOTPUTLI, PANIYALA, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA

ne number
ाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

of known/suspected/unknown accused with full particulars
दिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

d More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
PARVEEN BAGORIA		पिता:SULTAN BAGORIA	1. BANETHI,KOTPUTLI,कोटपूतली-बहरोड़,RAJASTHAN,INDIA

s for delay in reporting by the complainant/informant
कर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

ars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

value of property stolen(In Rs/-)
हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

st Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

o. सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

nformation contents (Attach separate sheet, if necessary)
सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण इस प्रकार से है कि परिवादी श्री विक्रम मेघवाल पुत्र श्री जगन्नाथ उम्र 35 साल जाति मेघवाल निवासी हसील व जिला कोटपुतली बहरोड ने दिनांक 26.11.2025 को समय 11.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित न उप अधीक्षक पुलिस को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भिवाडी को सम्बोधित एक रिपोर्ट पेश की। परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो लिखित रिपोर्ट इस आशय की पाई दिनांक 24.11.2025 को मेरे भाई का बेटा गौरव व पुत्री शीतल अपनी स्वंय की गाडी से नांगल चौधरी से अपने घर , तब उनके आगे अन्य गाडी चल रही थी। उस गाडी को उनके द्वारा ओवर टेक करते वक्त उसको मामूली खरोंच आ उस पार्टी ने पुलिस थाना पनियाला में शिकायत कर दी गई। जिस पर प्रकरण सख्या 328/2025 दर्ज हो गई। इसके रा आपस में राजीनामा हो गया। हम जब राजीनामा के लिए पुलिस थाना में गये तो कानि0 प्रविण ने हमारा मा नही होने दिया और प्रवीण कानि0 ने हमारे से 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग की। इस पर मैने कहा कि हमारा नामा हो गया अब भी पैसे किस बात के, तो श्री प्रवीण कानि0 ने कहा कि तुम्हारा फैसला करवा दुंगा यदि तुम 20 पये तोगे तो। यदि रूपये नही दोगे तो तुम्हारे खिलाफ चालान कर दिया जायेगा। मै मेरे जायज काम के लिए उनको ही देना चाहता हुं और उनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी उनसे किसी प्रकार की रंजीश व लेन देन बाकि नही है। आप मेरी कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी द्वारा लिखित रिपोर्ट का न कर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने उक्त लिखित रिपोर्ट अपनी वित होना एवं उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना बताया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाफ्त से रिश्वत के लेन-देन का पाये जाने पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि र श्री शहरून कानि0 को जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी के साथ मांग सत्यापन हेतु पुलिस थाना पनियाला के लिए ीब 11.30 ए.एम. पर रवाना किया। तत्पश्चात् समय करीब 03.00 पीएम पर श्री शहरून कानि0 ने अपने नम्बर से मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर जरिये वाट्सअप काल कर मांग सत्यापन के बारे में बताया गया। कानि0 को मय परिवादी के कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय करीब 04.00 पीएम तन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने बाबत अधीक्षण अभियन्ता प0व0स0 भिवाडी के नाम कार्यालय पत्र जारी कर श्री र कानि0 352 को हमराह देकर स्वतन्त्र गवाह को हमराह लाने हेतु उनके कार्यालय भिवाडी के लिए रवाना किया समय बाद श्री रवि कुमार कानि0 352 मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आया। दोनों गवाहान लिस उप अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुये उनसे उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम पंकज कुमार शर्मा श्री रामप्रकाश शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 45 निवासी गायत्री मन्दिर काली खोली धाम भिवाडी हाल इल्क्ट्रीशियन-र्यालय अधिशाशी अभियन्ता (ओ एण्ड एम) भिवाडी जिला खैरथल तिजारा तथा दूसरे ने अपना नाम गौरव पुत्र श्री उम्र 27 साल जाति सैनी निवासी ग्राम किनाना तहसील व जिला जीन्द (हरि0) हाल हैल्पर-प्रथम कार्यालय अभियन्ता(ओ एण्ड एम) भिवाडी जिला खैरथल तिजारा होना बताया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान से में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की स्वीकृति चाही तो दोनों ने अपनी स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27.11.2025 को समय 07.00 एएम पर कार्यालय में होने व गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 05.00 पीएम पर न कानि. नं. 175 मय परिवादी श्री विक्रम मेधवाल के बाद गोपनीय मांग सत्यापन पुलिस थाना पनियाला से कार्यालय आये। श्री शहरून कानि0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द शुदा विभागीय डिजिटल वाईस र पेश किया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि साहब मै और आपका कानि0 श्री शहरून आपके कार्यालय से रवाना लिस थाना पनियाला के नजदीक पहुंचे, जहा पर शहरून ने मुझे वाईस रिकॉर्डर चालूकर दे दिया। इसके बाद उस थाने के बाहर ही रूक गया तथा मै वाईस रिकॉर्डर लेकर पुलिस थाने में गया तो श्री प्रवीण कानि0 मुझे ने में उपस्थित मिला। जिसको मैने नमस्कार कर हमारे राजीनामा के सम्बन्ध में वार्ता की और कहा कि पॉच सात या हूं और उनको देने लगा तो उसने कहा कि अन्दर रख लो कोई देख लेगा आप पूरे लेकर आ जाना। जब ही आपका । इसके बाद मै वहा से रवाना होकर शहरून के पास आया और इनको ये सभी बाते बताई। मैने मेरी प्रवीण

से हुई सभी बातों को इस वाईस रिकॉर्डर में टेप कर लिया। इसके बाद विभागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को तौर पर चालू कर सूना गया तो उसमें आई वार्ता में संदिग्द आरोपी कानि0 प्रवीण द्धारा परिवादी से राजीनामा के लिए रिश्वत की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया तथा परिवादी द्धारा बताई गई बातो की पुष्टि होना पाया भागीय डिजिटल वाईस टेपरिकार्डर को वापिस बन्द कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा जाकर लॉक गया। उक्त कार्यवाही की फर्द वापसी विभागीय डिजिटल टेपरिकॉर्डर तैयार कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल ी की गई। इसके बाद परिवादी ने बताया कि साहब मेरी मोसी बीमार है इसलिए मेरा घर जाना अति आवश्यक है मै के बताये अनुसार समय पर उपस्थित हो जाऊगा। इस पर परिवादी को संदिग्ध आरोपीगण को दी जाने वाली राशी 20,000 रूपये अपने साथ लेकर दिनांक 27.11.2025 को समय 07.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने ीयता बनाने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 27.11.2025 को पाबन्द शुदा ी श्री विक्रम मेघवाल समय करीब 7.00 एएम. पर कार्यालय में उपस्थित आया जिससे संदिग्ंध आरोपी श्री प्रवीण को उसकी मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशी 20,000/-रूपये बाबत पूछा तो परिवादी ने अपने पास होना परिवादी को कार्यालय में ही बैठाया गया। इसके बाद पूर्व के पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री पंकज कुमार क्ट्रीशियन-प्रथम व श्री गौरव हैल्पर-प्रथम उपस्थित कार्यालय आये जिनका परिवादी श्री विक्रम मेघवाल पुत्र श्री उम्र 35 साल जाति मेघवाल निवासी बनार तहसील व जिला कोटपुतली बहरोड से परिचय करवाया जाकर ी द्धारा दिनांक 26.11.2025 को पेश किये गये लिखित प्रार्थना पत्र को पढवाया गया। दोनों गवाहान ने परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर उसमें अंकित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने अपना हस्त लिखित था उसमें अंकित सभी तथ्य सही होना ताईद किया। दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने परिवादी की बातों को सही मानकर लिखित प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात परिवादी तथा संदिग्ध आरोपी श्री प्रविण कानि0 पुलिस नियाला के मध्य रिश्वत राशी मांग सत्यापन के समय पुलिस थाना पनियाला में रूबरू हुई वार्ता को परिवादी ने य डिजिटल टेपरिकॉर्डर में दिनांक 26.11.2025 को टेप किया गया था एंव जिसको दिनांक 26.11.2025 को तौर पर चालूकर सुनकर वापिस बन्द कर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखकर ताला लगाया गया था डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में आलमारी का ताला खोलकर बाहर निकाला वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को दोनों गवाहान की मौजूदगी में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के में लगाकर टेबिल स्पीकर की सहायता से सुना गया और परिवादी से सदिंग्ध आरोपी द्धारा रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ताओं की शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री विक्रम मेघवाल द्धारा अपनी व संदिग्ध आरोपी श्री प्रविण कानि0 की आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री रवि कानि0 से टकंण करवाया गया। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा पान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु ली पैन ड्राईव मंगवायी जाकर तीनों पैन ड्राईव SANDISK ULTRA 32GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल रिकार्डर मे डले 32 जीबी मैमोरी कार्ड से लैपटॉप की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्धारा बारी-बारी से तीन व तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव व एसडी कार्ड की हैष वैल्यू लेपटॉप मे इमैजर की सहायता से श्री रवि कुमार कानि0 से निकलवाई जाकर उक्त हैष वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर बाद सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। पैनड्राईव को प्लास्टिक के कवर में रखवाकर प्लास्टिक के कवर सहित क की छोटी डिब्बी में रखवाकर पैन ड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित पृथक पृथक कपडे की थैलियों में रखकर र भी मार्का A-1, A-2 व A-3 अंकित किया जाकर मार्क A-1, A-2 को सील्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव की कपड़े की थैली मार्क A-3 को न हेतु पत्रावली पर अनशील्ड रखा गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड र्ताओं की जो पैन ड्राईव बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। इसके बाद र्ड 32 जीबी को एक प्लास्टि की डिब्बी मे रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली को सील र मार्क SD अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त ी की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एंव जब्ती पैनड्राईव व एसडी कार्ड 32 जीबी रिश्वती राशि मांग सत्यापन पृथक से तैयार कर ाक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 09.30 एएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के न उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी समक्ष परिवादी श्री विक्रम मेघवाल को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने संदिग्ध श्री प्रविण कुमार कानि0 पुलिस थाना पनियाला जिला कोटपुतली बहरोड को रिश्वत में दी जाने वाली राशी पेश बत कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा लिस उप अधीक्षक को पेश किये। जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अंकिंत कर उक्त नोटों के नम्बर मन् प अधीक्षक एंव उपरोक्त गवाहान के द्धारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। द्धारा पेश शुदा नोटों पर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की

निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 20,000/- रूपये को रखकर उन पर श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। श्री विक्रम मेघवाल की जामा तलाशी गवाह श्री पंकज कुमार शर्मा से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त 20,000/- नोट श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बगल की बॉई जेब में रखवाये गये एंव को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को जब तक नही छुयेगा तब तक कि आरोपी रिश्वत की मांग नही करे तथा र ही वह पाऊडर युक्त राशि उसे देवे, और ध्यान रखे की आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है। परिवादी को के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से काल/मिस कॉल न् पुलिस उप अधीक्षक को रिश्वत देने का ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान को दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी त रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट गया। उसके पश्चात एक नये साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री सतीश कुमार हैड कानि0 11 जिसने नोटों पर थैलीन पाऊडर लगाया है, के दाहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो स पर परिवादी व गवाहान तथा हाजरिन् को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटो को छुयेगा तो थो में यह पाउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी गुलाबी हो जायेगा। जिससे साबित होगा कि उसने रिश्वती राशी मांगकर ग्रहण की है। इसके बाद उक्त गिलास के घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया एंव गिलास को जलवा कर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात पाऊडर लगाने सतीश कुमार हैड कानि0 11 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, एंव टै्रप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा टै्रप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं रहने दी गई, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही गये। परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया 32 जीबी सेनडिस्क एसडी कार्ड डालकर वाईस को परिवादी को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एंव नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट एंव सुपुर्दगी डिजीटल वाईस टेपरिकार्डर पृथक् से तैयार हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय करीब 10.15 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस सदस्य श्री शहरून कानि0, श्री राजबीर सिंह कानि0 व परिवादी श्री विक्रम मेघवाल व गवाह श्री गौरव के एक वाहन से व स्टाफ सदस्य श्री साहिब सिंह एएसआई, श्री झाबर सिंह हैड कानि0 27, श्री रवि कुमार कानि0 352, राम कानि0, श्रीमती मिनाक्षी शर्मा महिला कानि062 एंव स्वतन्त्र गवाह श्री पंकज शर्मा के सरकारी वाहन से श्री इन्द्रजीत के वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के एसीबी भिवाडी से संदिग्ध आरोपी के पुलिस थाना पनियाला जिला कोटपुतली बहरोड के लिए रवाना होकर समय करीब एम पर मय हमराहीयान के पुलिस थाना पनियाला के नजदीक मैन रोड पर भीड भाड वाली जगह पर पहुंचा, दोनों वाहनों को रोड के एक साईड में खडा करवाकर परिवादी को वाहन से नीचे उतारकर वाईस रिकॉर्डर को चालू हिदायत देकर संदिग्ध आरोपी के पास उनके पुलिस थाना के लिए रवाना किया गया व कानि0 श्री शहरून को भी के साथ रवाना किया गया तथा बाकि स्टाफ सदस्यों को भी वाहनो सें नीचे उतारकर मन उप अधीक्षक पुलिस व स्य परिवादी के पीछे-2 रवाना होकर अपनी-2 उपस्थिति छुपातें हुये उस थाने के बाहर खडे होकर परिवादी के इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात समय करीब 11.40 ए.एम. पर परिवादी श्री विक्रम मेघवाल ने पुलिस थाना के मुख्य द्वार पर खडा होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस व ट्रेप पार्टी को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा सिर फेरकर किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी से सुपुर्दशुदा डिजिटल टेपरिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने कब्जे में लिया गया। तत्पष्चात् परिवादी ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस को साहब मैं और कानि0 शहरून अभी-अभी आपके निर्देषानुसार श्री प्रवीण कानि0 के पास उनके पुलिस थाना में श्री प्रवीण मुझे पुलिस थाना के स्वागत कक्ष के पास पार्किंग टीन सैड के पास मिला। जिसको मैने नमस्कार किया मुझे कहा कि हो गया काम, तब मैने कहा कि साहब पूरे बीस हजार रूपये लेकर आया हूं और उनको उक्त रूपये से निकालकर दिये तो उन्होने मेरे से उक्त 20 हजार रूपये अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपने पहनी हुई खाकी किट की अन्दर की बाई जेब में रख लिये, और कहा कि किसी को बताना मत, सुनिल को भी मत बताना। इसके बाद मुझे मेरे साथ गये शहरून के लिए कहा कि ये कौन है, तब मैने झूठ बोला कि यह मेरे जीजा जी है। इसके बाद

े मुझे कहा कि दस मिनिट बैठो मै साहब के पास बात करके आता हूं। इसके बाद मैने उनको कहा कि साहब अब पैसे भी दे दिये है अब आप हमारा राजीनामा करवा दो। इस पर प्रवीण ने मुझे कहा कि दो मिनिट रूको और फिर के अन्दर चला गया। इसके बाद मै वहा से मैन गेट पर आकर आपको मुकुर्र ईशारा कर दिया। श्री प्रवीण कुमार पुलिस थाना के अन्दर ही है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ सदस्यों के परिवादी को साथ लेकर तुरन्त स थाना के अन्दर आया तो पुलिस थाना के मैस के पास एक व्यक्ति पेन्ट शर्ट व खाकी जैकेट पहने हुये खडा हुआ दिया। जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि साहब जो सामने खडा है, वही श्री प्रवीण कानि0 है। अभी-अभी मेरे से अपनी तयशुदा रिश्वत राशी 20,000/-रूपये अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपने पहनी हुई ग की जैकिट की अन्दर की जेब में रखे है, जो अभी इनकी जेब में ही है। इस पर वह व्यक्ति ट्रेप पार्टी को अपनी ओर कर भागने की कोशिश करने लगा। इस पर स्टाफ सदस्यों से उस व्यक्ति को डिटेन कर उनका नाम पता पूछा तो पना नाम प्रवीण बागोरिया पुत्र श्री सुलतान बागोरिया उम्र 34 साल जाति खटीक निवासी ग्राम बनेठी तहसील ली पुलिस थाना पनियाला जिला कोटपूतली बहरोड हाल कानि0 800 जिला स्पेशल टीम जिला कोटपूतली बहरोड टेच पुलिस थाना पनियाला जिला कोटपूतली बहरोड होना बताया। तत्पश्चात आरोपी श्री प्रवीण बागोरिया कानि0 से ी श्री विक्रम मेघवाल से मांग सत्यापन दिनांक 26.11.2025 को उसके भाई के पुत्र श्री गौरव व अन्य के विरूद्ध दर्ज सख्या 328/2025 में राजीनामा करवाने के लिए रिश्वत राशी 20,000/-रूपये मांगने व आज वर वक्त रिश्वत राशी के समय अपनी मांग अनुसार 20,000/-रूपये रिश्वत के परिवादी से प्राप्त किये, बाबत पूछा गया कि आपने उक्त रिवादी से किस काम के लिए, लिए है तथा वह रूपये कहां पर है, तो आरोपी श्री प्रवीण बागोरिया ने बताया कि 26.11.2025 को श्री विक्रम मेघवाल मेरे पास करीब दो व ढाई बजे के लगभग पुलिस थाने में आया था और अपने पुत्र गौरव व अन्य के विरुद्ध पुलिस थाने में दर्ज मुकदमें में राजीनामा करवाने की बात की थी। उस समय मैने इनसे श्वत की मांग नहीं की। इसके बाद यह आज समय करीब 11.30 एएम के आस पास मेरे पास थाने में आया और अपने पुत्र गौरव व अन्य के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में राजीनामा के बारे में पुनः बात की तो मैने इनको कहां कि आप उस पार्टी ाओ। मैं आपका राजीनामा करवाने की कोशिश करूगां । इसके बाद श्री विक्रम मेघवाल ने 500-500 रूपये के कुछ रदस्ती मेरी पहनी हुई जैकेट की अदंर की बाई जेब में डाल दिये। मैने इनको मना किया लेकिन यह नहीं माने उक्त री जैकेट की जेब में रखते हुये कहा कि आप राजेश को दे देना। इस पर आरोपी को पूछा गया कि जब परिवादी जेब में जबरदस्ती रूपये रख रहा था तो आपने विरोध क्यों नहीं किया तो आरोपी ने कहा कि साहब श्री विक्रम ने मुझे दूसरी पार्टी के राजेश को देने के लिए कहां इसलिए मैने विरोध नहीं किया। इस पर पास ही खडे परिवादी म मेघवाल से पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि साहब प्रवीण कानि0 झूठ बोल रहा है। मैं मांग सत्यापन दिनांक 2025 को जब इनके पास हमारे राजीनामा के लिए पुलिस थाना में आया और राजीनामा के सम्बन्ध में इनसे वार्ता कहा कि साहब मै पॉच सात हजार लाया हूं और इनको देने लगा तो इन्होने कहा कि अन्दर रख लो कोई देख लेगा लेकर आ जाना। जब ही आपका काम होगा। इस पर मै आज इनके कहे अनुसार इनकी तय शुदा पाऊडर युक्त रिश्वत ,000 रूपये लेकर श्री प्रवीण के पास पुलिस थाना में आया तो यह मुझे थाने के स्वागत कक्ष के पास पार्किंग टीन ास मिले। इस पर मैने इनको नमस्कार किया तब इन्होने मुझे कहा कि हो गया काम, तब मैने कहा कि साहब पूरे ार रूपये लेकर आया हूं और इनको अपनी जेब से रूपये निकालकर दिये तो इन्होने मेरे से उक्त 20 हजार रूपये युक्त अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपने पहनी हुई खाकी रंग की जैकिट की अन्दर की बाई जेब में रख लिये, और किसी को बताना मता, सुनिल को भी मत बताना। इसके बाद इन्होने मुझे शहरून के लिए कहा कि ये कौन है, तब कि यह मेरे जीजा जी है। इसके बाद इन्होने मुझे कहा कि दश मिनिट बैठो मै साहब के पास बात करके आता हूं। द मैने उनको कहा कि साहब अब आपको पैसे भी दे दिये है अब आप हमारा राजीनामा करवा दो। इस पर इन्होने ा कि दो मिनिट रूको। मैने उक्त रूपये दूसरी पार्टी श्री राजेश के लिए नहीं दिये। तत्पश्चात आरोपी प्रवीण को पुलिस कमरे के उपरे मालखाना लिखे में लाया जाकर कुर्सी पर बैठाया गया। इसके बाद उक्त पुलिस थाना के मैन गेट पर ी के कैम्पर से साफ प्लास्टिक की बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से दो साफ पारदर्शी प्लास्टिक के ल गिलास निकलवाकर उक्त दोनों गिलासों में पानी भरवाकर गवाह श्री पंकज शर्मा से दोनों गिलासों में सोडियम पाऊडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। तत्पश्चात् एक गिलास के घोल में आरोपी प्रवीण कानि0 के दाहिने हाथ लियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया दोनों ही हाथों की अंगुलियों/अंगूठे के धोवन का रंग गैदमैला हो गया, जिसे मौजूदगान ने देखकर गैदमैला होना किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1, R-2 व L-1, L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। तत्पश्चात ी पंकज शर्मा से आरोपी श्री प्रवीण कानि0 की जामा तलाशी लिवाई गई तो गवाह ने आरोपी के बदन पर पहनी ी रंग की जैकिट की अन्दर की बाई जेब में कुछ रूपये होना बताया। जिसको गवाह से बाहर निकलवाकर दोनो

से गिनने एवं कार्यालय मे बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नंबरों से मिलान करने बाबत कहा तो दोनों ने नोटों को गिनकर 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये होना एंव उक्त नोटो के नंबरों का फर्द व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान कर नोटो के नम्बर एक समान होना बताया। बरामदशुदा नोटों सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को सील मोहर कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत पुलिस लिया गया। तत्पश्चात पूर्व की भॉति गवाह श्री गौरव से एक अन्य प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में म कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित ही रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी का रंग अपरिवर्तित होना ही बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में आरोपी के बदन पर पहनी हुई खाकी रंग कट को शालीनता पूर्वक उतरवाकर उसके अन्दर की बाई जेब जिससे रिश्वत राशी बरामद की गई थी, का धौवन या, तो धौवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धित ने देखकर गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। त उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों क्षर करवाकर मार्क G-1 व G-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके बाद उक्त जैकेट जिसकी जेब से रिश्वती रामद की गई थी। उसकी उक्त जेब को अच्छी तरह सुखाकर उस पर लाल पेन से गोला कर संबधित के हस्ताक्षर र बतौर वजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर थैली पर संबधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क G कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पष्चात परिवादी से प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें ी व आरोपी श्री प्रवीण बागोरिया कानि0 800 के मध्य रिश्वत लेन-देन की वार्ता टेप होना पाई गई, जिसकी अलग ट्रान्सक्रिप्ट व जब्ती एसडी कार्ड/पैनड्राईव तैयार की जावेगी। उक्त कार्यवाही की विभागीय कैमरे में नया एसडी कार्ड श्री रवि कानि0 से विडियोंग्राफी करवाई गई। करवाई गई विडियोंग्राफी के मेमौरी कार्ड जब्ती व तैयार पेनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी श्री प्रवीण बागोरिया कानि0 800 से परिवादी के पुत्र श्री गौरव व विरुद्ध दर्ज प्रकरण सख्या 328/2025 की पत्रावली बाबत पूछा गया तो आरोपी ने उक्त प्रकरण श्री सुनिल कुमार 0 पुलिस थाना पनियाला के पास होना बताया। परिवादी व आरोपी से आपसी रंजिष, दुष्मनी व उधार के लेन-देन पूछा तो दोनो ने ही इंकार किया। इसके बाद घटनास्थल का नक्शा मौका जरिये फर्द कशीद कर शामिल पत्रावली या। तत्पश्चात परिवादी से सम्बन्धित रिकॉर्ड प्रकरण सख्या 328/2025 की मूल पत्रावली की फोटों प्रति प्रमाणित र जरिये फर्द जब्त की गई। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहन एवं परिवादी श्री विक्रम मेघवाल के समक्ष वक्त रिश्वत आरोपी श्री प्रवीण बागोरिया कानि0 800 एवं परिवादी श्री विक्रम मेघवाल के मध्य रूबरू हुई रिकार्ड वार्तालाप के शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में डले हुये मैमोरी कार्ड सहित लेपटॉप के डैस्कटॉप पर सेव कर उक्त सेव वार्ता को र टेबिल स्पीकर की मदद से रिकार्ड वाताओं को सुना जाकर श्री रवि कुमार कानि0 से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करवाई रोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री विक्रम मेघवाल द्धारा अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपी श्री प्रवीण बागोरिया कानि0 ी आवाज की पहचान की गई। फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपातंरण श्री रवि कुमार कानि0 से टकंण करवाया गया। ी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान रिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता का पैन ड्राईव बनवाने हेतु तीन खाली पैन ड्राईव सैनडिस्क अल्ट्रा हमराह बॉक्स से निकलवाकर तीनों पैन ड्राईव SANDISK ULTRA 32 GB खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस र मे डले 32 जीबी मैमोरी कार्ड से कम्प्यूटर की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्धारा बारी-बारी से तीन पैन तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर पैन ड्राईव व डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले 32 जीबी कार्ड को वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाला जाकर लैपटॉप की सहायता से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्धारा बारी-बारी वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के इमैजर की सहायता से श्री रवि कुमार कानि0 से निकलवाई जाकर उक्त हैष वैल्यू का प्रिंट जाकर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात तीनों पैनड्राईव को प्लास्टिक के कवर अलग-2 प्लास्टिक की छोटी डिब्बीयों में रखवाकर प्लास्टिक की डिब्बी सहित तीन पृथक पृथक कपडे की थैलियों में थैलियों पर भी मार्का B-1,B-2 व B-3 अंकित किया जाकर मार्क B-1,B-2 को सील्ड मोहर कर संबंधितों के र करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा तीसरे पैन ड्राईव की कपड़े की थैली मार्क B-3 को अनुसंधान हेतु पत्रावली शील्ड रखा गया। इसके बाद एसडी कार्ड को एक प्लास्टि की डिब्बी मे रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे थैली को सील मोहर कर मार्क SD-1 अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा लिया गया। इसके बाद समय करीब 06.30 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी परिवादी श्री विक्रम से आरोपी द्धारा 20,000/-रूपये रिश्वत राशी मांग कर प्राप्त करने पर परिवादी से निर्धारित ईशारा मिलने पर रिश्वती राशी एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व विभागीय डिजिटल कैमरा मे 32 जीबी सेनडिस्क कार्ड डालकर श्री रवि कुमार कानि से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त विभागीय डिजिटल कैमरा से मेमोरी कालकर मेमोरी कार्ड को लेपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लेपटॉप मे सेव करवाया जाकर ट्रेप दो खाली पेनड्राईव 32 जीबी निकलवाकर करवाई गई वीडियो ग्राफी के बारी-बारी से तैयार करवाये गये। दोनों ईव का लेपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से बारी-2 से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी से मिलान

या गया। पैन ड्राईव एवं वीडियोग्राफी में काम में लिये गये एसडी मेमौरी कार्ड की हैष वैल्यू लेपटॉप मे एफटी के की सहायता से श्री रवि कुमार कानि0 से निकलवायी जाकर हैष वैल्यू का प्रिटं लिया जाकर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित ल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिबियो मे रखकर डीबियो को पृथक फेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमशः C-1, C-2, अंकित कर पेन ड्राईव मार्क C-1 को सील मोहर कर कपडे की संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन डाईव मार्क C-2 को अनुसंधान ी अवस्था मे रखा गया। मेमोरी कार्ड 32 जीबी को एक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर प्लास्टिक की डिब्बी को एक पडे की थैली मे रखकर थैली को सील मोहर कर मार्क SD-2 अंकित कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर जह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी श्री प्रवीण बागोरिया पुत्र श्री सुलतान बागोरिया उम्र 34 साल जाति निवासी ग्राम बनेठी तहसील कोटपूतली पुलिस थाना पनियाला जिला कोटपूतली बहरोड हाल कानि0 800 जिला टीम जिला कोटपूतली बहरोड हाल अटैच पुलिस थाना पनियाला जिला कोटपूतली बहरोड को जुर्म से आगाह कर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संषोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ट्रेप ही में वजह सबूत को सीलड मोहर करने के काम में ली गई पीतल की नमूना सील जिस पर ACB ALW kk (6) हुआ था को गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही श्री लल्लूराम कानि0 487 से तुडवाकर फर्द नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात बाद सम्पन्न कार्यवाही समय करीब 09.30 पीएम पर परिवादी श्री विक्रम मेघवाल के निवास स्थान के लिए रवाना किया जाकर समय करीब 10.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री प्रवीण बागोरिया कानि0 800 जिला स्पेशल टीम कोटपूतली बहरोड हाल अटैच पुलिस थाना पनियाला जिला कोटपूतली बहरोड व जब्त शुदा आर्टीकल्स, रिश्वती लेपटॉप प्रिन्टर को हमराह लेकर जरिये सरकारी वाहन व एक प्राईवेट वाहन से बाद ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना ला से रवाना होकर आरोपी का राजकीय अस्पताल कोटपुतली में मेडिकल करवाकर मय हमराहीयान के एसीबी यि कोटपुतली बहरोड के लिए रवाना होकर एसीबी कार्यालय कोटपुतली बहरोड पर पहुंचा। जब्त शुदा समस्त स व सील्ड शुदा समस्त शीशीयॅा व जब्त शुदा रिश्वती राशी नम्बरी 20,000/-रूपये को श्री झाबर सिंह, हैड के सुपुर्द किया जाकर हैड कानि0, दोनों स्वतन्त्र गवाहन व स्टाफ सदस्य श्री साहिब सिंह एएसआई, श्री राजबीर सिंह श्री शहरून कानि0 व श्रीमती मिनाक्षी महिला कानि0 को जरिये प्राईवेट वाहन के रवाना एसीबी कार्यालय भिवाडी किया जाकर हैड कानि0 श्री झाबर सिंह को समस्त माल वजैह सबूत मय रिश्वत राशी के श्री सतीश कुमार हैड मालखाना को सुपुर्द्व कर जमा मालखाना करवाने की मुनासिब हिदायत दी गई।अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही मे प्रवीण बागोरिया पुत्र श्री सुलतान बागोरिया उम्र 34 साल जाति खटीक निवासी ग्राम बनेठी तहसील कोटपूतली थाना पनियाला जिला कोटपूतली बहरोड हाल कानि0 800 जिला स्पेशल टीम जिला कोटपूतली बहरोड हाल अटैच थाना पनियाला जिला कोटपूतली बहरोड एक लोक सेवक होते हुए अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य के एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री विक्रम मेघवाल पुत्र श्री जगन्नाथ उम्र 35 साल जाति मेघवाल बनार तहसील व जिला कोटपुतली बहरोड से उसके भाई के पुत्र श्री गौरव व अन्य के विरुद्ध गाडी एक्सीडेन्ट में थाना में दर्ज अपराध सख्या 328/25 दिनांक 24.11.2025 में राजीनामा करवाने के लिए मांग सत्यापन वार्ता 26.11.2025 को परिवादी से 20,000 रूपये रिश्वत की मांग कर नही देने पर चालान करने की कहकर अपनी उक्त अनुशरण में वर वक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 27.11.2025 को रिश्वत राशी लेन देन के समय अपनी तय शुदा रिश्वत 20,000 रूपये परिवादी से मांग कर अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जैकिट की अन्दर की बाई जेब में तथा उक्त रिश्वत राशी आरोपी की पहनी हुई जैकिट की अन्दर की बांई जेब से बरामद होने पर आरोपी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बखूबी प्रमाणित या है। अतः आरोपी प्रवीण बागोरिया पुत्र श्री सुलतान बागोरिया उम्र 34 साल जाति खटीक निवासी ग्राम बनेठी कोटपूतली पुलिस थाना पनियाला जिला कोटपूतली बहरोड हाल कानि0 800 जिला स्पेशल टीम जिला कोटपूतली हाल अटैच पुलिस थाना पनियाला जिला कोटपूतली बहरोड के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है श्वर लाल)उप अधीक्षक पुलिसभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भिवाडी।..............कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार क ब्यूरो, भिवाडी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा त 2018) में आरोपी श्री प्रवीण बागोरिया पुत्र श्री सुलतान बागोरिया उम्र 34 साल जाति खटीक निवासी ग्राम तहसील कोटपूतली पुलिस थाना पनियाला जिला कोटपूतली बहरोड हाल कानि0 800 जिला स्पेशल टीम जिला ली बहरोड हाल अटैच पुलिस थाना पनियाला जिला कोटपूतली बहरोड के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट यां नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार क ब्यूरो, झुन्झुंनूं को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 552 पर अंकित है। (डॉ. रामेश्वर सिंह) उप

ीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1802-05 दिनांक 28.11.2025 प्रतिलिपि
वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,
ा-01 जयपुर, 2- पुलिस अधीक्षक, जिला कोटपूतली-बहरोड 3- उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक
यपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी । उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक
जस्थान, जयपुर।

n taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

istered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

cted (Name of I.O.): Suresh Chand **Rank** निरीक्षक
अधिकारी का नाम): **(पद):**

सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

used investigation due to
के लिए) :

के कारण इंकार किया, या)

nsferred to P.S.(थाना): **District (जिला):**

oint of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

ead over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the
inant/informant free of cost.

कर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
.C.(आर.ओ.ए.सी.)

ture/Thumb impression of the complainant / informant
यतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Dr Rameshwar Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/11/2025 19:4

and time of dispatch to the court
त में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR RAMESHWAR SINGH
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

tures, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
युक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
2	3	4	5	6	7
Male	1991				

es/ Peculiarities तियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Dialect ली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
	15	16	17	18	19	20

will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)